(ख) इन संस्थाओं के विरुद्ध क्या-क्या आरोप लगाये गये हैं;

(ग) "कपार्ट" द्वारा प्रदत्त धन राशि का गबन/दुरुपयोग करने के लिए इन संस्थाओं के विरुद्ध क्या कार्यवाई की जा रही है; और

(घ) इस संबंध में की जा रही कार्रवाई की नवीनतम स्थिति का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजरापू येरन्नायडु): (क) और (ख) 30 सितम्बर, 1997 की स्थिति के अनुसार कपार्ट द्वारा काली सूची में दर्ज स्वयं सेवी संस्थाओं के नाम, पते और काली सूची में शामिल करने के कारणों सहित राज्यवार ब्यौरे अनुपत्र में दिए गए हैं। **[देखिए परिशिष्ट 182, अनुपत्र संख्या 3.]**

(ग) और (घ) कपार्ट द्वारा प्रदत्त धनराशि का गबन/दुरुपयोग करने वाली संस्थाओं को आगे धन दिया जाना तुरंत रोक दिया जाता है। उन्हें एक निश्चित समय सीमा में अपनी गलतियों को सुधारने का भी मौका दिया जाता है। अगली जांच के बाद, निष्कर्षों के आधार पर अन्तरिम धनराशि की रिलीज पर लगाए गए रोक को हटा दिया जाता है/जारी रखा जाता है। यदि गलतियां नहीं सुधारी जाती हैं तो कपार्ट उस संस्था को काली सूची में शामिल कर देता है और मामले की प्रकृति के अनुरूप अनुदान की वसूली के लिए प्राथमिकी/सिविल मुकदमा दर्ज करा देता है। प्रश्न के भाग (क) व (ख) के उत्तर में दिए गए अनुबंध में शामिल सभी 248 संस्थाओं को 30 सितम्बर, 1997 की स्थिति के अनुसार कपार्ट द्वारा काली सूची में शामिल किया गया है। इन संस्थाओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई की नवीनतम स्थिति निम्नानुसार है:—

(1) मामलों की संख्या, जिसमें नोटिस जारी किया गया है	376*
(2) मामलों की संख्या, जिनकी जांच की जा रही है	119
(3) मामलों की संख्या, जिनकी जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई तथा कार्रवाई शुरू कर दी गई है।	55
(4) मामलों की संख्या, जिन्हें सी०बी०आई० को सौंपा गया	62
(5) संस्थाएं, जिन्हें अभी भी जारी नोटिस का उत्तर देना है	140

*इसमें कपार्ट द्वारा काली सूची में दर्ज 248 संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य एजेंसियों द्वारा काली सूची में दर्ज संस्थाएं भी शामिल हैं।

मधुबनी जिले के सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास केन्द्र के विरुद्ध कार्रवाई

85. **श्री राम देव भंडारी:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री 13 अगस्त, 1997 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2439 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के मधुबनी जिले के पथराही, झाड़पुर (रेलवे स्टेशन) स्थित सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास केन्द्र का नाम काली सूची में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय स्थायी समिति को भेजे जाने की तारीख क्या थी;

(ख) क्या राष्ट्रीय स्थायी समिति ने उक्त संस्था का नाम काली सूची में शामिल करने का आदेश दे दिया है तथा तदनुसार आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो नवीनतम स्थिति का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजरापू वेरान्नायडु): (क) बिहार के मधुबनी जिले के पथराही, झंझारपुर (रेलवे स्टेशन) स्थित सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास केन्द्र का नाम काली सूची में शामिल करने के लिए निगरानी एवं मूल्यांकन संबंधी राष्ट्रीय स्थायी समिति के समक्ष भी रखा जाना है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Safe Drinking Water Facilities in Bihar

86. SHRI S.S. AHLUWALIA: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the details of safe drinking water facilities provided in the rural habitations in Bihar during the 8th Five Year Plan period and the amount allocated and spent thereon; and

(b) the details of rural habitations are likely to be provided with safe drinking water facilities in the State by the end of this century?

THE MINISTER OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI K. YERRANNAIDU): (a) Safe drinking water facilities were to be provided in 10168 village/habitations in Bihar during